न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 24 / 2017 (उदयपुर डिक्री)

जयशंकर राय पिता श्री जपुराम राय, जाति राय, निवासी 36, शाही कॉम्पलेक्स कॉलोनी, सेक्टर नंबर 11, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती भंवरी बाई पिता नाथू जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, हाल विजनवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. छगनलाल पिता फतेहलाल जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती सोवनी बाई पत्नी फतेहलाल जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. भेरूलाल पिता फतेहलाल जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती जशोदा पत्नी ओमप्रकाश जी सुथार, निवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती भागू बाई पत्नी लक्ष्मीलाल जी सुथार, निवासी नेता का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती जीवा बाई पुत्री फतहलाल जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी किशनलाल जी सुथार, निवासी भैसा कमेड, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती हमेरी (पिता सरीलाल जी) पत्नी किशनलाल जी सुथार, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती हीरा बाई (पिता सरीलाल जी) पत्नी जगदीश जी सुथार, निवासी धोलीमगरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती पुष्पा बाई (पिता सरीलाल जी) पत्नी मोहनलाल जी सुथार, निवासी बापडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
12. श्रीमती धापू बाई (पिता सरीलाल जी) पत्नी ख्यालीलाल जी सुथार, निवासी विजनवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती नारू बाई (पिता सरीलाल जी) पत्नी स्व. रूपलाल जी सुथार, निवासी थामला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
14. बाबूलाल पिता धन्ना जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

15. श्रीमती वरदी बाई पत्नी धन्ना जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
16. भूरालाल पिता भेरा जी डांगी, निवासी तुरकिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्रीमती मोहन बाई पत्नी छगनलाल जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक रे.सं. 1, 17

3– श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभि.रे.सं. 14

4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि. रे. 18

(2) प्रकरण संख्या 51/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. बाबूलाल पिता धन्ना जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती वरदी बाई पत्नी धन्ना जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती भंवरी बाई पिता नाथू जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, हाल विजनवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. छगनलाल पिता फतेहलाल जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती सोवनी बाई पत्नी फतेहलाल जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. भेरूलाल पिता फतेहलाल जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती जशोदा पत्नी ओमप्रकाश जी सुथार, निवासी सालेराकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती भागू बाई पत्नी लक्ष्मीलाल जी सुथार, निवासी नेता का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

7. श्रीमती जीवा बाई पुत्री फतहलाल जी सुथार, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी किशनलाल जी सुथार, निवासी भैसा कमेड, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती हमेरी (पिता सरीलाल जी) पत्नी किशनलाल जी सुथार, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती हीरा बाई (पिता सरीलाल जी) पत्नी जगदीश जी सुथार, निवासी धोलीमगरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती पुष्पा बाई (पिता सरीलाल जी) पत्नी मोहनलाल जी सुथार, निवासी बापडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
12. श्रीमती धापू बाई (पिता सरीलाल जी) पत्नी ख्यालीलाल जी सुथार, निवासी विजनवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती नारू बाई (पिता सरीलाल जी) पत्नी स्व. रूपलाल जी सुथार, निवासी थामला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
15. भूरालाल पिता भेरा जी डांगी, निवासी तुरकिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक रे.सं. 1 से 4, 8, 9
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. सं. 14

———/———

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक14.10.2015, प्र.सं. 70/2014

———::———

निर्णय **दिनांक 10–01–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है दोनों अपीलाधीन अपीलों के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट अथवा उनके क्रेतागणों के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खाम की

मादडी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात स्थित होकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष चेना जी के 4 पुत्र नाथू, श्रीलाल, वरदा व धन्ना हुए, जिसमें वरदा लाऔलाद फोत हो गया। नाथू की वारिस पत्नी गोमती जो फोत हो चुकी है एवं भंवरी बाई हुई, जो वादिया है तथा श्रीलाल व धन्ना के वारिस प्रतिवादीगण हैं। इस प्रकार विवादित भूमियों में चेना जी चार पुत्रों में वरदा के लाऔलाद फोत हो जाने से शेष तीन पुत्र नाथू, श्रीलाल व धन्ना जी प्रत्येक का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा था तथा नाथू की एक मात्र वारिस पुत्री वादिया का 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज है। शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण मुझ वादिया की भूमि गलत तरीके से अपने नाम दर्ज कर रहन बेह बक्षीस करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतएवं उक्त भूमियों में वादिया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जाकर अन्य उचित विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में दौराने कार्यवाही प्रतिवादीगण के क्रेता भूरालाल पिता भेरा डांगी को प्रतिवादी संख्या 16 के रूप में संस्थित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 13 बाबूलाल की ओर से अधिवक्ता दिनांक 07–12–2009 को उपस्थित हुए तथा दिनांक 07–12–2009 को प्रतिवादी संख्या 1 छगनलाल स्वयं उपस्थित हुए। प्रकरण में दिनांक 20–05–2013 को प्रतिवादी बाबूलाल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में अन्य प्रतिवादीगण भी बावूजद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में दिनांक 31–10–2014 को प्रतिवादी संख्या 13 को जवाब का अंतिम अवसर दिया गया। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 14–11–2014 को प्रतिवादी संख्या 13 बाबूलाल द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से उसके जवाब का अवसर बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी में लिया गया तथा इसके बाद दिनांक 12–12–2014, 22–01–2015, 26–02–2015 की पेशी देने के बाद दिनांक 10–03–2015 को वादिया की साक्ष्य लेने के बाद प्रकरण में दिनांक 14–10–2015 को वादिया का वाद डिक्री किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 70/2014 (259/2009) निर्णय व डिक्री दिनांक 14–10–2015 से रूष्ट होकर अपील संख्या 24/2017 श्री जयशंकर द्वारा दिनांक 12–04–2017 को पेश की गयी, जिसे हम आगे प्रथम अपील कहेंगे। इसी प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 51/2017 प्रतिवादी संख्या 13 व 14 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 29–05–2017 को प्रस्तुत की गयी है, जिसे हम आगे द्वितीय अपील कहेंगे। वस्तुतः उक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या व एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण तथा निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों प्रकरणों का समेकित निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न रहे।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम प्रथम अपील संख्या 24/2017 पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 27–03–2017 को तब हुई जब अपीलान्ट जमाबन्दी की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया। देरी का उचित एवं पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का भी आवेदन अपील के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी नंबर 1578 व 1579 किता 2 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा में 1/2 हिस्सा खातेदार भूरालाल पिता भेरा डांगी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भंवरी बाई ने 1/3 हिस्से की डिक्री प्राप्त कर ली है, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतएवं उसे अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे।

उपरोक्त दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 17 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त भूमियों के बारे में दिनांक 10–06–2015 को वादग्रस्त भूमि के विक्रेता भूरा व अन्य के विरूद्ध वाद विचाराधीन था तथा विक्रेता भूरालाल को दिनांक 29–01–2013 को तामिल हो चुकी थी इसलिए अपीलान्ट के विक्रेता

भूरालाल को उक्त वाद की जानकारी होते हुए वाद लम्बित रहने के दौरान विक्रय किया गया है। उक्त वाद की जानकारी क्रेता अपीलान्ट को भी थी। अपीलान्ट ने दिनांक 27–03–2017 को पहली बार जानकारी होने का जो कथन किया है वह सर्वथा गलत है। अपीलान्ट ने अपील को मयाद में लेने के लिए मनगढ़न्त तथ्य अंकित किये हैं। अतएवं अपील खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

इसी प्रकार दफा 96 जा.दी. के आवेदन का भी जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 17 द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट ने आराजी नंबर 1578 व 1579 किता 2 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा में 1/2 हिस्सा भेरा डांगी से दिनांक 10–06–2015 को खरीदना बताया जो अवैध नहीं शून्य है, क्योंकि उक्त दिनांक को वाद विचाराधीन था, जिसकी जानकारी अपीलान्ट के विक्रेता को थी एवं उसे दिनांक 29–01–2013 का ही सम्मन तामिल हो चुके थे। इसलिए भूरालाल द्वारा जो विक्रय किया गया है वह धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधान से लीस्पेन्डेन्सी के सिद्धान्त से प्रभावित है एवं उक्त विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट के मुकाबले अवैध व शून्य है। अतएवं आवेदन खारिज की जावे।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 मोहनी बाई द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रस्तुत कर उनके साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें रेकार्ड पर रखे जाने का निवेदन किया :–

1. पंजीकृत दानपत्र दिनांक 11-01-2017 द्वारा भंवरीबाई पुत्री नाथू जी सुथार दानदाता एवं श्रीमती मोहनी बाई पत्नी छगनलाल जी सुथार दानग्रहिता
2. जमाबन्दी ग्राम खाम की मादडी, खाता संख्या 63 संवत् 2070 से 2073
3. जमाबन्दी ग्राम खाम की मादडी, खाता संख्या 165 संवत् 2070 से 2073
4. जमाबन्दी ग्राम खाम की मादडी, खाता संख्या 139 संवत् 2070 से 2073

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में उभयपक्ष की बहस सुनने बाद प्रस्तुत दस्तावेज पश्चातवर्ती दस्तावेज हैं, परन्तु प्रसांगिक होने से न्यायहित में रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा भी आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रस्तुत कर उनके साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें रेकार्ड पर रखे जाने का निवेदन किया :–

1. नकल विक्रय पत्र दिनांक 10–06–2015 अज भुरालाल पिता भेरा जी डांगी बहक जयशंकर राय पिता जपुराम राय।
2. नकल शुद्धि पत्र दिनांक 26–10–2015 अज भुरालाल पिता भेरा जी डांगी बहक जयशंकर राय पिता जपुराम राय।
3. नकल जमाबन्दी मौजा खाम की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

न्यायहित में उपरोक्त दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रकरण में अब हम सर्वप्रथम दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन का निर्णय करना उचित समझते हैं। यह स्वीकृत स्थित है कि अपीलान्ट के विक्रेता भूरालाल को पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिनांक 07–09–2012 को दिया गया तथा श्री भूरालाल की बाद तामिल दिनांक 25–04–2014 को उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। अर्थात प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलान्ट के विक्रेता भूरालाल को वाद लम्बित रहने की जानकारी थी, फिर भी उसके द्वारा दिनांक 10–06–2015 को वाद लम्बित रहने के दौरान अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय किया गया है। प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं है कि भूरालाल की जानकारी को अपीलान्ट की जानकारी माना जाये। तद्नुसार प्रकरण में अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने की कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं होने से मयाद कण्डोन किया जाना हम उचित समझते हैं।

प्रकरण में जहां तक दफा 96 जा.दी. के आवेदन का प्रश्न है, प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा भूमि वाद लम्बित रहने के दौरान दिनांक 10–06–2015 को क्रय की गयी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान यदि किसी पक्षकार द्वारा कोई भूमि क्रय की जाती है तो क्रेता के अधिकार विक्रेता से अधिक नहीं हो सकते। अपीलान्ट के विक्रेता भूरालाल को अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण की जानकारी थी तथा उसके द्वारा स्वयं पक्षकार बनने का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसे प्रतिवादी के रूप में संस्थित किया गया है तथा उसे सम्मन तामिल होकर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। तद्नुसार भूरालाल के क्रेता अपीलान्ट का भूरालाल से ज्यादा अधिकार नहीं हो सकता तथा भूरालाल का अधिकार प्रकरण में अन्य विक्रेता प्रतिवादीगणों से ज्यादा नहीं हो सकता। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से

अपीलान्ट को आवश्यक, व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो क्रय किया गया है वह वाद लम्बित रहने के दौरान किया गया है। यदि अपीलान्ट का कोई हक व अधिकार बनता है तो वह उसके विक्रेता से प्राप्त हक अधिकारों से अधिक नहीं हो सकता। तद्नुसार अपीलान्ट आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं होने से दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाते हैं एवं दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रथम अपील संख्या 24/2017 खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

अब हम द्वितीय अपील संख्या 51/2017 पर विवेचन करना उचित समझते हैं। यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14–10–2015 के विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 13 व 14 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 29–05–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को कथित निर्णय की जानकारी प्रथम बार अपील संख्या 24/2017 के सम्मन नोटिस प्राप्त होने पर हुई, जिस पर तारीख पेशी दिनांक 26–04–2017 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर पता चला कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया गया है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट बाबूलाल की ओर से दिनांक 07–12–2009 को उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं तथा उनके द्वारा दिनांक 07–12–2009 से लेकर दिनांक 31–10–2014 तक जवाबदावा पेश नहीं किये जाने के कारण दिनांक 31–10–2014 को अंतिम अवसर दिया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 14–11–2014 को जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनका जवाब बन्द किया गया। जब दिनांक 07–12–2009 को अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित थे तो उनका यह कथन कि उन्हें अन्य अपील संख्या 24/2017 के सम्मन नोटिस प्राप्त होने पर उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई, निसंदेह झूठा एवं मिथ्या कथन है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील करीब 1½ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा जो आधार लिये हैं वह उचित एवं पर्याप्त के स्थान पर झूठे एवं मिथ्या हैं। तद्नुसार अपीलान्ट स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं। इस संबंध

में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711 एवं आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 887 पेश की हैं, जो इस प्रकरण से सुसंगत है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपील न सिर्फ बेरून मयाद पेश की गयी है, बल्कि उसके द्वारा मयाद कण्डोन कराने के लिए जो आधार लिये गये हैं, वे झूठे एवं मिथ्या है। तद्नुसार यह द्वितीय अपील संख्या 51/2017 बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उपरोक्तानुसार उक्त प्रथम अपील संख्या 24/2017 दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा द्वितीय अपील संख्या 51/2017 बेरून मयान होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 14–10–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर संलग्न की जावे।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

जयशंकर राय पिता श्री जपुराम राय नि0–36, शाही कॉम्पलेक्स कॉलोनी, बनाम **श्रीमती भंवरीबाई पिता नाथूजी सुथार नि. खाम की मादडी, हाल विजनवास तह. मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**24 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....14**.....माह.....**10**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**.....माह.....**01**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री खेमराज डांगी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मन्नाराम डांगी**....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 14–10–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**01**.....**2019** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

बाबुलाल पिता श्री धना सुथार, नि0 खाम की मादडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **श्रीमती भंवरीबाई पिता नाथूजी सुथार नि. खाम की मादडी, हाल विजनवास तह. मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**51 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....14**.....माह.....**10**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**.....माह.....**01**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री विजयकुमार ओस्तवाल** ....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री मन्नाराम डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 14–10–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**01**.....**2019** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर व अन्य बनाम **मोती पिता हीराजी जाट,निवासी राहमी, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**104 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....16**.....माह.....**07**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**.....माह.....**09**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री पंकज भटनागर** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री सुखलाल मेघवाल**....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–07–2012 अपास्त किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**09**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।